क्षेत्रीय आयुर्वेदीय पोषणजन्य विकार अनुसंधान संस्थान, गांधी भवन, मण्डी, हिमाचल प्रदेश
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
Regional Ayurveda Research Institute for Nutritional Disorders
(Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, Govt. of India)
Gandhi Bhawan, Mandi, Himachal Pradesh-175001, India
Email: arri.mandi@gmail.com, arri-mandi@gov.in Ph/ fax: Hos. 01905222857,221636

फा.सं.: 4-15/2015/ आर.ए.आर.आई.एन.डी/तक/ दिनाँक: 7.2.2017

सीमित निविदा आंमत्रण

1. विज्ञापन सं. 2/2017 दिनांक 6 फरवरी, 2017
2. निविदा की अंतिम तिथि: (दिनांक 15.2.2017, 3:00 बजे तक)
3. निविदा खोलने की तिथि: (दिनांक 15.2.2017, 3:30 बजे)

सेवा में,

1. मै. हरिओम ट्रैवलज, एस सी ओ-2/4, अस्पताल रोड़, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश
2. प्रधान, मै. देवभूमि टैक्सी स्टैण्ड, सेरी बाजार मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
3. मै. सतलुज टूअर एण्ड ट्रैवलज, बस स्टैण्ड के निकट मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
4. मै. सिध्दि विनायक टूअर एण्ड ट्रैवलज, मण्डी बस स्टैंण्ड के निकट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
5. मै. कुशल कुमार एण्ड संज़, गाँव पंजेटी, डाकघर. तल्याढ़, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
6. मै. मणि महेश टूअर एण्ड ट्रैव्लज, समखेतर बाजार, मण्डी, हिमाचल प्रदेश

विषय: स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने बारे।

इस संस्थान द्वारा संचालित "स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम" के लिये मण्डी जिले के निकटवर्ती गावों के परिवारों के सर्वेक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण हेतु निम्न विवरण एवं शर्तो के अनुसार न्यूनतम दरों पर महेन्द्रा बोलेरो, इनोवा, टाटा सूमों, मारूती स्वीफ्ट डिज़ायर वाहनों के लिये सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम सं	गांधी भवन, मण्डी से दूरी एवं यात्रा का स्लैब	निम्नलिखित वाहनों के लिये किराये की दरें (रूपयों में)			
		इनोवा	टाटा सूमों	बोलेरो	मारूति स्वीफट
1.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 4 घंटे या 40 कि.मी प्रतिदिन				
2.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 5 घंटे या 50 कि.मी.				
3.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 6 घंटे या 60 कि.मी.				
4.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 7 घंटे या 70 कि.मी.				
5.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 8 घंटे या 80 कि.मी.				
6.	अतिरिक्त शुल्क प्रतिघंटा (उपरोक्त स्लैब के अलावा)				
7.	अतिरिक्त शुल्क प्रति कि.मी. (उपरोक्त स्लैब के अलावा)				

नियम व शर्तें:

1. निविदायें निर्धारित प्रपत्र में सहायक निदेशक(आयुर्वेद) आर.ए.आर.आई.एन.डी, गाँधी भवन मण्डी के पते पर भेजें जो 15.2.2017 को 3:00 बजे तक प्राप्त होनी चाहिये जो उसी दिन 3:30 बजे खोली जायेगीं।
2. निविदा के साथ रू. 3,000/- ब्याना (EMD) बैंक ड्राफ्ट द्वारा संलग्न हो जो एसिस्टेंट डायरेक्टर(आयुर्वेद), आर ए.आर.आई.एन.डी के नाम देय हो जिसके बिना निविदा मान्य नहीं होगी। असफल निविदाकारों की ब्याना राशि निविदा स्वीकृति के पश्चात उन्हें वापस कर दी जायेगी।
3. निविदाओं के साथ वाहन पंजीकरण, टैक्सी परमिट, वाहन नं.,मॉडल नं./टाइप देना होगा। वाहन पाँच साल से पुराना न हो तथा टैक्सी रूप में पंजीकृत हो। फर्म शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश पर भी वाहन देने में सक्षम हो।
4. फर्म का अपना मोबाइल फोन तथा सामान्य फोन हो। वाहन चालक के पास भी मोबाइल सुविधा हो,LMV CAB एवं PSV BUS का वैध लाईसेंस हो तथा उसे न्यूनतम तीन साल का अनुभव हो।
5. सफल निविदाकर्ता को रू.5,000/- की जमानत राशि एसिस्टैन्ट डायरेक्टर (आयुर्वेद) आर.ए.आर.आई.एन.डी, के नाम से समर्पित एफ.डी.आर. के रूप में देनी होगी जो संविदा की समाप्ति पर वापस कर दी जायेगी। यदि फर्म द्वारा नियमों-शर्तों का उल्लंघन होगा या सेवायें असंतोषजनक होगीं या सेवा प्रदान करने से मना कर दे तो ब्याना राशि/जमानत राशि जबत हो जायेगी जिसके लिये संस्थान का निर्णय मान्य होगा।
6. मांग सूचना के अनुसार वाहन प्रातः 9:00 बजे चालक एवं पी. ओ. एल. सहित गांधी भवन पर उपलब्ध कराना होगा। कार्य की अवधि सामान्यत: 8 घंटे यानी सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी। यदि फर्म मांग सूचना देने पर वाहन देने में असफल होगी तो उसके लिये प्रत्येक समय रू.500/- की कटौती की जायेगी।
7. स्वीकृत दर के आलावा अन्य कोई प्रभार संस्थान द्वारा देय नहीं होगा।
8. यात्रा के समय एवं दूरी की गिनती गांधी भवन मण्डी या संस्थान के नये परिसर, पण्डोह से चलकर वापस वही तक होगी। दरें प्रतिवाहन निर्धारित दूरी व अवधि के लिये प्रतिदिन के लिये दी जायें। संस्थान वाहन के खराब होने या उसकी मुरम्मत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन खराब होने की परिस्थिति में फर्म को उसी स्थान पर दूसरा वाहन शीघ्र उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उसके लिए उपयुक्त कटौती की जायेगी।
9. भुगतान मासिक आधार पर चैक द्वारा फर्म के नाम से किया जायेगा तथा नियमानुसार 2 आयकर/ देय राशि से काट लिया जायेगा। फर्म का पैन न. (PAN) तथा सर्विस टैक्स पंजीकरण नं. की प्रति सलंग्न करें। इसलिये दरें प्रचलित आयकर को मिलाकर दी जाय।
10. वाहनों की संख्या एवं अनुबन्ध अवधि आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सहायक निदेशक (आयुर्वेद),के पास सुरक्षित होगा।

7/2/2017

(डा. ओमराज शर्मा)
सहायक निदेशक(आयुर्वेद)
प्रभारी (संस्थान)

क्षेत्रीय आयुर्वेदीय पोषणजन्य विकार अनुसंधान संस्थान, गांधी भवन, मण्डी, हिमाचल प्रदेश
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
Regional Ayurveda Research Institute for Nutritional Disorders
(Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, Govt. of India)
Gandhi Bhawan, Mandi, Himachal Pradesh-175001, India

दिनांक:.............

वाहन हेतु सीमित निविदा प्रपत्र

क्रम सं	गांधी भवन, मण्डी या पण्डोह से दूरी एवं यात्रा का स्लैब	निम्नलिखित वाहनों के लिये किराये की दरें (रूपयों में)			
		इनोवा	टाटा सूमों	बोलेरो	मारूति स्वीफट
1.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 4 घंटे या 40 कि.मी प्रतिदिन				
2.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 5 घंटे या 50 कि.मी.				
3.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 6 घंटे या 60 कि.मी.				
4.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 7 घंटे या 70 कि.मी.				
5.	मण्डी से स्थानीय यात्रा 8 घंटे या 80 कि.मी.				
6.	अतिरिक्त शुल्क प्रतिघंटा (उपरोक्त स्लैब के अलावा)				
7.	अतिरिक्त शुल्क प्रति कि.मी. (उपरोक्त स्लैब के अलावा)				

वाहन की पंजीकरण संख्या............

वाहन का माडल वर्ष....................

फर्म का पैन नम्बर . ...

फर्म का सर्विस टैक्स नम्बर. ....

ब्याना राशि डी डी नम्बर. ....

दिनांक..................................

हस्ताक्षर ....

फर्म का नाम और पता

....

....

....

दूरभाषा नम्बर. ....